



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अप्रैल, 2021

चैत्र 16, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 256/तीन-2021-39(1)-2002

लखनऊ, 06 अप्रैल, 2021

विज्ञप्ति / विविध

प०आ०-95

उत्तर प्रदेश शासन की पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 741/33-3-221 दिनांक 26-3-2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 खख एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अधिसूचना संख्या 709/रा०नि०आ०अनु०-3/पं०नि०/20-21/2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 जारी की गयी है। अधिसूचना संख्या 709/रा०नि०आ०अनु०-3/पं०नि०/20-21/2021 दिनांक 26 मार्च, 2021 द्वारा निम्नलिखित के अनुसार चार चरणों में मतदान का दिनांक उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित जनपदों में नियत की गयी है:-

क्र०	चुनाव चक्र एवं मतदान का दिनांक	संबंधित जनपद
1	2	3
1	प्रथम चरण 15 अप्रैल, 2021	सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झाँसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर एवं भदोही।
2	द्वितीय चरण 19 अप्रैल, 2021	मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूँ, एटा, मैनपुरी कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोण्डा, महाराजगंज, वाराणसी एवं आजमगढ़।

1	2	3
3	तृतीय चरण 26 अप्रैल, 2021	शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर एवं बलिया।
4	चतुर्थ चरण 29 अप्रैल, 2021	बुलन्दशहर, हापुड़, संभल, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बाँदा, कोशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र एवं मऊ।

2—उक्त निर्वाचन में विभिन्न चरणों के मतदान के दिवसों में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या 26, 1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 20/25-56-Pub-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, के अनुक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या 709/रा0नि0आ0अनु0-3/पं0नि0/20-21/2021 दिनांक 26-03-2021 के अनुसार उक्त प्रस्तर 01 में अंकित तालिका के स्तम्भ-02 में उल्लिखित मतदान का दिनांक 15 अप्रैल 2021, 19 अप्रैल 2021 26 अप्रैल 2021 एवं 29 अप्रैल 2021 को उनके सम्मुख स्तम्भ 03 में उल्लिखित जनपदों में श्री राज्यपाल सार्वजनिक अवकाश घोषित करती हैं।

3—मतदान का दिनांक 15 अप्रैल 2021, 19 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021, एवं 29 अप्रैल 2021, को संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु अपने-अपने जनपद में अवकाश घोषित किया जाएगा।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।